



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258398
CG-DL-E-01112024-258398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2024/ कार्तिक 8, 1946

No. 620]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2024

सा. का. नि. 678(अ).— खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय नियमों का प्रारूप, अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक (पहला संशोधन) नियम, 2024, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना सा.का.नि. सं.310(अ), तारीख 5 जून, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 जून, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पहला संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के नियम 3.1 के उपनियम 3.1.1 में खंड (5) में अंक 58 के बाद 61, 63 अंकों को अन्तस्थापित किया जाएगा।

(फा.सं.पी.15025/13/2019-एफ.आर.)

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

टिप्पण : ये मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 362(अ), दिनांक 5 मई, 2011 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इसमें अधिसूचना सं. सा. का. नि. 33(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2024

G.S.R. 678(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by section 91 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the draft of certain rules, namely, the Food Safety and Standards (First Amendment) Rules, 2024, was published vide notification of the Government, of India, Ministry of Health and Family Welfare vide number G.S.R. 310(E), dated the 5th June, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 5th June, 2024;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 91 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Safety and Standards Rules, 2011, namely:

- (1) These rules may be called the Food Safety and Standards (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards Rules, 2011, in rule 3.1, in sub-rule 3.1.1, in clause (5), after figure “58”, the figures “61, 63,” shall be inserted.

[F. No P.15014/13/2019-FR]

RAJIV WADHAWAN , Advisor (Cost)

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 362(E), dated the 5th May, 2011 and amended vide notification number G.S.R. 1516(E), dated the 13th December, 2017 and vide notification number G.S.R. 33(E), dated the 20th January, 2023.